न्यायालय उच्च उत्तराखंड, नैनीताल ।

आपराधिक रिट याचिका संख्या:- 1959 / 2022

योगेश कुमार ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य । .... प्रत्यर्थी ।

उपस्थित :- श्री तपन सिंह, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री जे. एस. विर्क, राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता

निर्णय आरक्षित करने की तिथि: 16.11.2022

को सुपुर्द किया गयाः 30.11.2022

<u>श्री संजय कुमार मिश्रा, जे.</u>

इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता ने सतर्कता प्रतिष्ठान, हल्द्वानी जिला, नैनीताल द्वारा दर्ज प्राथमिकी 06 सन 2022 दिनांकित 08.08.2022 अंतर्गत धारा 420, 466 और 467 भारतीय दंड संहिता 1860 की (जो संक्षिप्तता के लिए दंड संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 3ए और 3बी, भारतीय वन अधिनियम, 1972 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ए) के अंतर्गत (जो संक्षिप्तता के लिए पी.सी. अधिनियम के रूप में संदर्भित) को उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी कर रद्द करने का अनुरोध किया है । उसने रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पूर्वोक्त प्राथमिकी के संबंध में परमादेश की प्रकृति की रिट जारी कर प्रत्यर्थी नं. 2 और 3 को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं करने और कोई भी राहत जो न्यायालय उचित समझे प्रदान करने के लिए भी प्रार्थना की है, ।

2. संबंधित मामले में, मुख्य अभियुक्त, अर्थात्, किशन चंद की याचिका, उसमें दिए गए कारणों पर खारिज की गई है। उक्त सिद्धान्त निम्नलिखित पर भी लागू होता है । इस मामले में भी

मुख्य आरोपी और वर्तमान आरोपी योगेश कुमार के बीच एकमात्र अंतर यह है कि योगेश कुमार वन विभाग का कर्मचारी नहीं था, वह एक ठेकेदार था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि वह मुख्य अभियुक्त किशन चंद के साथ इसमें ऊपर कथित अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल था ।

3. मामले को देखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि स्वीकार्य रूप से इस याचिकाकर्ता ने मुख्य अभियुक्त के तत्वावधान में अनुबंधों को निष्पादित किया है। उसकी भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया।

4. इसलिए, रिट याचिका गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है। दिनांक 03.11.2022 के अंतरिम आदेश को रद्द किया जाता है।

(संजय कुमार मिश्रा, जे)

(नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रति प्रदान करें)

पीवी